



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक:- 24.03.2023

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व

पता-

गुलजार पुत्र इमामुद्दीन निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-का0 1043 सुनील यादव थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 24.03.2023

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

विपिन पुत्र किशनपाल निवासी सुल्तानपुर हटाना थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-का0 413 आकाश सैनी थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-का0 984 दीपक शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक:- 24.03.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 35/23 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 35/23 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग की अपहृता को थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 15.01.2023 को सकुशल बरामद किया गया है ।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

आदित्य पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अखिलेश यादव थाना बडौत ।

2-का0 1058 शरद यादव थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 24.03.2023

थाना छपरौली पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल मय 02 मैगजीन 10 कारतूस 30 बोर, एक अवैध पिस्टल मय 02 मैगजीन 03 कारतूस 9 एमएम, एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 12 कारतूस, एक मोबाइल सैमसंग व एक वैगन आर कार बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध पिस्टल मय 02 मैगजीन 10 कारतूस 30 बोर, एक अवैध पिस्टल मय 02 मैगजीन 03 कारतूस 9 एमएम, एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 12 कारतूस, एक मोबाइल सैमसंग व एक वैगन आर कार न0 DL-8CNB-5521 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न



किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोनू पुत्र रामअवतार निवासी ग्राम जागौस थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध पिस्टल मय 02 मैगजीन 10 कारतूस 30 बोर।
- एक अवैध पिस्टल मय 02 मैगजीन 03 कारतूस 9 एमएम।
- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 12 कारतूस।
- एक मोबाइल सैमसंग।
- एक वैगन आर कार न0- DL-8CNB-5521

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- थाना प्रभारी श्री रविरतन सिंह थाना छपरौली।
- 2-एसओजी प्रभारी श्री रविन्द्र पलावत मय टीम।
- 3-उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह थाना छपरौली।
- 4-है0का0 351 पवन नागर थाना छपरौली।
- 5-है0का0 353 नरेश कुमार थाना छपरौली।
- 6-का0 340 मोहित थाना छपरौली।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक- 24.03.2023

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 45 पाउच अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 45 पाउच अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है ।



।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनुज उर्फ कल्लू पुत्र चौहल सिंह निवासी ग्राम धनौरा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 45 पाउच अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 अमित कुमार थाना दोघट ।
- 2-उ0नि0 श्री नत्थुलाल थाना दोघट ।
- 3-है0का0 139 देवेन्द्र कुमार थाना दोघट ।



प्रेस नोट
थाना रमाला

दिनाँक 24.03.2023

थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

जमील हसन पुत्र अजमल निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-का0 259 ओमकुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 24-03-2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 80/23 धारा 380/511
भादवि से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 24.03.2023 को वादी श्री सुल्तान पुत्र जाबिर निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर द्वारा उसकी दुकान से चोरी करने का प्रयास करते हुए अभियुक्त फरमान पुत्र इकबाल निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर को पकड कर थाने लाया गया । थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा अभियुक्त



फरमान को गिरफ्तार किया गया तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु०अ०सं० 80/23 धारा 380/511 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फरमान पुत्र इकबाल निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1-का० 963 प्रभात यादव थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-एचजी 787 मौ० इस्लाम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।